न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2018-00108RAAJodhpur2018-45RTA223 Dhudaram ors Vs Nathuram etc

01. धूड़ाराम पुत्र जोराराम
02. जोधाराम पुत्र श्री जोराराम
03. ओमाराम पुत्र श्री जोराराम
04. राजूराम पुत्र श्री जोराराम
05. नारायण राम पुत्र श्री जोराराम
06. अणदा राम पुत्र श्री जोराराम
07. श्रीमती लाखू पत्नी श्री जोराराम
सभी जातियान् भाट, निवासीगण– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. श्री नाथुराम पुत्र श्री ढगलाराम, जाति भाट, निवासी– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. श्री श्यामाराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
3. श्री शंकरराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट,
4. श्री बाबुराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट,
5. श्री ओमाराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
6. श्री सांवलराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट, के कायम मुकाम–
   6.1. अशोक कुमार पुत्र स्व. सांवलराम
   6.2. उगमा पत्नी स्व. सांवलराम
7. श्री धारूराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
8. श्रीमती मजला पत्नी श्री सुन्दरराम, जाति भाट, निवासीगण– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
9. श्री मूलाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति पालीवाल
10. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पारसमल जाति संकलेचा निवासीगण– शास्त्री नगर, जोधपुर, हाल– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
11. श्री गोतमचंद पुत्र कंवरलाल जाति गुलेच्छा संकलेचा, निवासी– कमला नेहरू नगर, जोधपुर, हाल निवासी– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
12. श्री दाउराम पुत्र श्री रामाकिशन जाति डागा संकलेचा, निवासी– हाथीराम का ओडा, जोधपुर, हालपता– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल छाजेड़ निवासी– शास्त्री नगर, जोधपुर हालपता– ग्राम दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
14. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी श्री मोहनसिंह, जाति राजपूत,
15. श्रीमती अंतर कंवर पत्नी श्री मोहनसिंह, जाति राजपूत
16. श्री मोहनराम पुत्र श्री भावाराम जाति भाट
17. श्री नेताराम पुत्र श्री भावाराम जाति भाट,
18. श्रीमती अणची पत्नी श्री भावाराम जाति भाट
19. श्री सांगाराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
20. श्री भंवराराम पुत्र श्रही राणाराम जाति भाट
21. श्री परसराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
22. श्री धोकलराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
23. श्री भाकरराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
24. श्री लालाराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट के कायम मुकाम–
    - 24.1. मांगाराम पुत्र श्री लालाराम
    - 24.2. पूनाराम पुत्र श्री लालाराम
    - 24.3. झूमा पत्नी श्री लालाराम
25. श्री भीमाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
26. श्री कानाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
27. श्री गेनाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
28. श्री अर्जुनराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
29. श्री सुखाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
30. श्री रेवतराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
31. श्री जेसाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
32. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री बोराराम जाति भाट
33. श्रीमती सुखी पत्नी श्री सांगाराम के कायम मुकाम–
    - 33.1. सांगाराम पुत्र श्री राणाराम
    - 33.2. रमेश उर्फ रामाराम पुत्र श्री सांगाराम
    - 33.3. गायड़राम पुत्र श्री सांगाराम
34. श्रीमती बुद्धि देवी पत्नी श्री अनोपाराम जाति भाट
35. श्री मांगीलाल पुत्र श्री राणाराम जाति राईका
36. श्री शंकरराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
37. श्री छैलाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
38. श्री पुरखाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
39. श्रीमती सायर पत्नी श्री जोगाराम जाति भाट
40. श्री गिरधारी पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट(लाऔलाद फौत)
41. श्री पाबूराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति भाट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

42. श्री गोलाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट के कायम मुकाम–
    42.1. मांगाराम पुत्र श्री गोलाराम जाति भाट
    42.2. श्रीमती पेड़ी पत्नी श्री गोलाराम जाति भाट
43. श्री गेपरराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
44. श्री गोपाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
45. श्री मोहनराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
46. श्री अखाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
47. श्री पाबूराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
48. श्री विरमराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
49. श्री भेराराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
50. श्री गोकलराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
51. श्री जेताराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
52. श्री घेवरराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
53. श्री प्रेमाराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट

सभी निवासीगण– हनुमानगढ दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

54. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री जोराराम जाति जाट,
55. श्री नोजी पत्नी श्री भेराराम जाति जाट

निवासीगण– पुरखपुरा बम्बोर, हाल निवासी– ग्राम दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

56. सरपंच ग्राम पंचायत दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
57. तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मार्च 2011 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 92/2010 नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि

उपस्थित–

श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री महेन्द्र कुमार डूडी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 8, 14 से 33/3, 35, 36, 38, 39, 41, 42/1, 44, 46 से 50, 52, 53

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 15

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 57

नि र्ण य

दिनांक : 25 फरवरी 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2010 अनवान नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मार्च 2011 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09 अप्रैल 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1 रकबा 299.11 बीघा ग्राम दुगर तहसील शेरगढ के संबंध धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2011 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना संपूर्ण कार्यवाही एकतरफा करते हुए हस्तगत मामले में बिना कोई तनकीयात कायम किये पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य–सबूतों का विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 01 रकबा 299.11 बीघा में वादी का 1/8 हिस्सा रकबा 37.09 बीघा का नाम व सीमांकन के आधार पर विभाजन किये जाने का ही आदेश पारित किया है, जबकि शेष सभी खहखातेदारों के हिस्से को भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय एवं अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना किये जाने से अपीलांट्स को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में मौके पर रेस्पोडेंट ने गैर कानूनी तरीके से अपीलांट्स के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने के लिए झगड़ा किया एवं धमकी दी कि न्यायालय से बंटवाड़े की डिक्री हो चुकी है। जिस पर अपीलांट दिनांक 06 अप्रैल 2018 को नकल प्राप्त करने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा जानबूझ कर देरी नहीं की गई है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2010 अनवान नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मार्च 2011 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक-हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक-हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का भी सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 01 रकबा 299.11 बीघा में वादी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/8 हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार शेरगढ को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2010 अनवान नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मार्च 2011 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2018-00108RAAJodhpur2018-45RTA223 Dhudaram ors Vs Nathuram etc

अपीलाण्ट

01. धूड़ाराम पुत्र जोराराम
02. जोधाराम पुत्र श्री जोराराम
03. ओमाराम पुत्र श्री जोराराम
04. राजूराम पुत्र श्री जोराराम
05. नारायण राम पुत्र श्री जोराराम
06. अणदा राम पुत्र श्री जोराराम
07. श्रीमती लाखू पत्नी श्री जोराराम

सभी जातियान् भाट, निवासीगण– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. श्री नाथुराम पुत्र श्री ढगलाराम, जाति भाट, निवासी– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. श्री श्यामाराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
3. श्री शंकरराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट,
4. श्री बाबुराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट,
5. श्री ओमाराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
6. श्री सांवलराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट, के कायम मुकाम–
   - 6.1. अशोक कुमार पुत्र स्व. सांवलराम
   - 6.2. उगमा पत्नी स्व. सांवलराम
7. श्री धारूराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
8. श्रीमती मजला पत्नी श्री सुन्दरराम, जाति भाट, निवासीगण– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
9. श्री मूलाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति पालीवाल
10. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पारसमल जाति संकलेचा
    निवासीगण– शास्त्री नगर, जोधपुर, हाल– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
11. श्री गोतमचंद पुत्र कंवरलाल जाति गुलेच्छा संकलेचा, निवासी– कमला नेहरू नगर, जोधपुर, हाल निवासी– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
12. श्री दाउराम पुत्र श्री रामाकिशन जाति डागा संकलेचा, निवासी– हाथीराम का ओडा, जोधपुर, हालपता– दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
13. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल छाजेड़ निवासी– शास्त्री नगर, जोधपुर हालपता– ग्राम दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
14. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी श्री मोहनसिंह, जाति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजपूत,

15. श्रीमती अंतर कंवर पत्नी श्री मोहनसिंह, जाति राजपूत
16. श्री मोहनराम पुत्र श्री भावाराम जाति भाट
17. श्री नेताराम पुत्र श्री भावाराम जाति भाट,
18. श्रीमती अणची पत्नी श्री भावाराम जाति भाट
19. श्री सांगाराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
20. श्री भंवराराम पुत्र श्रही राणाराम जाति भाट
21. श्री परसराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
22. श्री धोकलराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
23. श्री भाकरराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
24. श्री लालाराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट के कायम मुकाम–
    24.1. मांगाराम पुत्र श्री लालाराम
    24.2. पूनाराम पुत्र श्री लालाराम
    24.3. झूमा पत्नी श्री लालाराम
25. श्री भीमाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
26. श्री कानाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
27. श्री गेनाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
28. श्री अर्जुनराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
29. श्री सुखाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
30. श्री रेवतराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
31. श्री जेसाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
32. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री बोराराम जाति भाट
33. श्रीमती सुखी पत्नी श्री सांगाराम के कायम मुकाम–
    33.1. सांगाराम पुत्र श्री राणाराम
    33.2. रमेश उर्फ रामाराम पुत्र श्री सांगाराम
    33.3. गायड़राम पुत्र श्री सांगाराम
34. श्रीमती बुद्धि देवी पत्नी श्री अनोपाराम जाति भाट
35. श्री मांगीलाल पुत्र श्री राणाराम जाति राईका
36. श्री शंकरराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
37. श्री छैलाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
38. श्री पुरखाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
39. श्रीमती सायर पत्नी श्री जोगाराम जाति भाट
40. श्री गिरधारी पुत्र श्री जोगाराम जाति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भाट(लाऔलाद फौत)

41. श्री पाबूराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति भाट

42. श्री गोलाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट के कायम मुकाम–

42.1. मांगाराम पुत्र श्री गोलाराम जाति भाट

42.2. श्रीमती पेड़ी पत्नी श्री गोलाराम जाति भाट

43. श्री गेपरराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट

44. श्री गोपाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट

45. श्री मोहनराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट

46. श्री अखाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट

47. श्री पाबूराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट

48. श्री विरमराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट

49. श्री भेराराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट

50. श्री गोकलराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट

51. श्री जेताराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट

52. श्री घेवरराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट

53. श्री प्रेमाराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट

सभी निवासीगण– हनुमानगढ दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

54. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री जोराराम जाति जाट,

55. श्री नोजी पत्नी श्री भेराराम जाति जाट

निवासीगण– पुरखपुरा बम्बोर, हाल निवासी– ग्राम दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

56. सरपंच ग्राम पंचायत दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

57. तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 मुकेश व्यास बनाम नाथूसिंह इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 25 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री महेन्द्र डूडी, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2010 अनवान नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16 मार्च 2011 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 25 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर